(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(78)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 5.5

Dated: 31/01/18

Notification No.75/2017 - State Tax

No.F3(78)/Fin(Rev-I)/2017-18/ - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2017.
- (2) Unless otherwise specified, they shall be deemed to have come into force from the 29th day of December, 2017.
- In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, -
 - (i) in rule 17, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:"(1A) The Unique Identity Number granted under the Central Goods and Services
 Tax Act, 2017 shall be deemed to be granted under the Delhi Goods and Services
 Tax Act, 2017.";
 - (ii) in rule 19, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any particular of the application for registration shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of the application in FORM GST REG-14 on the common portal except with the order of the Commissioner for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as the Commissioner may, in the said order, specify.";
 - (iii) with effect from 23rd October, 2017, in rule 89, for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:-
 - "(4) In the case of zero-rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of subsection (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula –

Refund Amount = (Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover of zero-rated supply of services) x Net ITC ÷Adjusted Total Turnover

Where, -

- (A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible;
- (B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;

- (C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;
- (D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:-

Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period;

- (E) "Adjusted Total turnover" means the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2, excluding
 - (a) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies and
 - (b) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under subrules (4A) or (4B) or both, if any,

during the relevant period;

- (F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed.
- (4A) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. F.3(42)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/746 (48/2017-State Tax) dated 23rd November, 2017 of the Government of National Capital Territory of Delhi, refund of input tax credit, availed in respect of other inputs or input services used in making zero-rated supply of goods or services or both, shall be granted.
- (4B) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. F.3(57)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/763 [40/2017-State Tax(Rate)] dated 27th November, 2017 of the Government of National Capital Territory of Delhi or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated 23rd October, 2017, or both, refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.";

(iv) in rule 95 -

- (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-"(1) Any person eligible to claim refund of tax paid by him on his inward supplies as per notification issued under section 55 shall apply for refund in FORM GST RFD-10 once in every quarter, electronically on the common portal or otherwise, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, along with a statement of the inward supplies of goods or services or both in FORM GSTR-11.";
- (b) in sub-rule (3), in clause (a), the words "and the price of the supply covered under a single tax invoice exceeds five thousand rupees, excluding tax paid, if any" shall be omitted;

- (v) with effect from 23rd October, 2017, in rule 96 -
 - (a) in the heading, after the words "paid on goods", the words "or services" shall be inserted:
 - (b) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(9) The persons claiming refund of integrated tax paid on export ofgoods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of notification No. F.3(42)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/746 (48/2017-State Tax) dated 23rd November, 2017 of the Government of National Capital Territory of Delhi or notification No. F.3(57)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/763 [40/2017-State Tax(Rate)] dated 27th November, 2017 of the Government of National Capital Territory of Delhi or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated 23rd October, 2017.";
- (vi) for FORM GST REG-10, the following form shall be substituted, namely:-

"Form GST REG-10

[See rule 14(1)]

Application for registration of person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.

Part -A

(i)	Legal name of the person	
(ii)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	Email Address of the Authorised Signatory	
(v)	Name of the representative appointed in India, if any	
	(a) Permanent Account Number of the representative in India	
	(b) Email Address of the representative in India	
	(c) Mobile Number of the representative in India (+91)	

Note- Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.

Part -B

1.	Details of Authorised Signatory						
	First Name	Middle Name	Last Name				

	Photo					
	Gender		Male / Female	e / Others		
	Designation					
	Date of Birth		DD/MM/YY	YY		
	Father's Name					
	Nationality					
	Aadhaar, if any					
			Address line	1		
	Address of the Author	rised Signatory	Address line	2		
			Address line	3		
2.	Date of commencem India.	ent of the online service	in DD/MM/YY	YY		
3	Uniform Resource I provided: 1. 2. 3	Locators (URLs) of the	website throug			
4	Jurisdiction	Center		Bengaluru Commissio		CGST
	Details of Bank Acc	ount of representative in	India(if appointed	ed)		
5	Account Number		Type of account			
	Bank Name	Branch Address			IFSC	
6	A customized list of values in the form	d documents required to	he uploaded (ref	er Instruction	n) as per	the field

	Declaration I hereby solemnly affirm and correct to the best of my know	d declare that the information given herein above is true and wledge and belief and nothing has been concealed therefrom.
7	Registrant. I would charge	hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the and collect tax liable from the non-assesse online recipient and deposit the same with Government of India.
		Signature
	Place:	Name of Authorised Signatory:
	Date:	Designation:

Note: Applicant will require to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Proof of Place of Business of representative in India, if any: (a) For own premises –
	Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
	(b) For Rented or Leased premises –
	A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or
	Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
	(c) For premises not covered in (a) and (b) above -
	A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy.
	For shared properties also, the same documents may be uploaded.
2.	Proof of:
	Scanned copy of the passport of the Non -resident tax payer with VISA details. In case of Company/Society/LLP/FCNR/ etc. person who is holding power of attorney with authorisation letter.
	Scanned copy of Certificate of Incorporation if the Company is registered outside India or in India
	Scanned copy of License issued by origin country
	Scanned copy of Clearance certificate issued by Government of India
3	Bank Account Related Proof:
2	Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement
	Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business
	Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and
	IFSC and Branch details.
4.	Scanned copy of documents regarding appointment as representative in India, if applicable

Authorisation Form:-

For Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:

Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)

I --- (Managing Director/Whole Time Director/CEO or Power of Attorney holder) hereby solemnly affirm and declare that << name of the authorised signatory >> to act as an authorised signatory for the business << Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Central Goods and Service Tax Act. 2017.

All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.

Signatures of the persons who is in charge.

S. No. Full Name

Designation/Status Signature

1.

Acceptance as an authorised signatory

I <<(Name of authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.

Signature of Authorised Signatory

Place

(Name)

Date:

Designation/Status

Instructions -

- If authorised signatory is not based in India, authentication through digital signature certificate shall not be mandatory for such persons. The authentication will be done through Electronic Verification Code (EVC).
- 2. Appointed representative in India shall have the meaning as specified under section 14 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.";

(vii) in FORM GST REG-13,

- a. in PART-B, at serial no. 4, the words, "Address of the entity in State" shall be substituted with the words, "Address of the entity in respect of which the centralized UIN is sought";
- b. in the Instructions, the words, "Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically" shall be substituted with the words, "Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically or otherwise.";
- (viii) for FORM GSTR-11, the following form shall be substituted, namely:-

Statement of inward supplies by persons having Unique Identification Number (UIN)

Year		
Tax		
Period		

1.	UIN							
2.	Name of the person having UIN							

3. Details of inward supplies received

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN of supplier	N	ote/C	/Debit Credit etails	Rate	Taxable value		Amo	ount of tax		Place of Supply
		Date	Value			Integrated tax	Central Tax	State/ UT Tax	CESS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3A. Inv	oice	es rec	eived		e m== 11=11=					
3B. Del	oit/C	Credi	t Note	receiv	ed					

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place Signature

Name of Authorised Signatory

Date

Designation /Status

Instructions:-

- 1. Terms Used:
 - a. GSTIN:- Goods and Services Tax Identification Number
 - b. UIN:- Unique Identity Number
- 2. Refund applications has to be filed in the same State in which the Unique Identity Number has been allotted.

- 3. For refund purposes only those invoices may be entered on which refund is sought.";
- (ix) for FORM GST RFD-10, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM GST RFD-10

[See rule 95(1)]

Application for Refund by any specialized agency of UN or any Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries, etc.

1.	UIN :	
2.	Name:	
3.	Address :	
4.	Tax Period (Quarter) <dd mm="" yy=""></dd>	: From <dd mm="" yy=""> To</dd>
5.	ARN and date of GSTR11 <dd mm="" yy=""></dd>	: ARN < Date
6.	Amount of Refund Claim	: <inr><in words=""></in></inr>
	G	State /IT Toy Integrated Tay Cass

State	Central Tax	State /UT Tax	Integrated Tax	Cess
Total				

7. Details of Bank Account:

- a. Bank Account Number
- b. Bank Account Type
- c. Name of the Bank
- d. Name of the Account Holder/Operator
- e. Address of Bank Branch
- f. IFSC
- g. MICR

-		2.00		
8	VP	riti	catio	m

I _____ as an authorised representative of << Name of Embassy/international organization >> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

That we are eligible to claim such refund as specified agency of UNO/Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries/ any other person/ class of persons specified/ notified by the Government.

Date:

Signatory:

Place:

Signature of Authorised

Name:

Designation / Status

Instructions

1. Application for refund shall be filed on quarterly basis.

- 2. Table No. 6 will be auto-populated from details furnished in table 3 of GSTR-11.
- 3. There will be facility to edit the refund amount as per eligibility.
- Requisite certificate issued by MEA granting the facility of refund shall be produced before the proper officer for processing refund claim. ";
- (x) In **FORM GST DRC-07**, the Table at serial no. 5 shall be omitted.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> (A. K. Singh) Dy. Secretary VI (Finance)

Note: The principal rules were published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 22nd June, 2017 vide Notification No.F.3(10)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/342 dated 22.06.2017 and last amended vide Notification No.70/2017-State Tax dated 17.01.2018.

No.F3(78)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 55

Dated: 31/01/18

Copy forwarded for information to:-

- The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
- 3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
- The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 5. The Commissioner, State Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 10. Website
- 11. Guard File.

(A. K. Singh)

Dv. Secretary VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व- 1) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली

सं फा 3(78)/वित्त(राजस्व-1)/2017-2018/डीएस- VI/ 55 दिनांकः 31/01/16

अधिस्चना सं. 75/2017 - राज्य कर

सं फा 3(78)/वित्त(राजस्व--1)/2017-2018/ - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,ये 29 दिसम्बर 2017 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे।
- 2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-
- (i) नियम 17 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
 - "(1क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन दिया गया विशिष्ट पहचान संख्यांक दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अधीन दिया गया माना जाएगा ।";
- (ii) नियम 19 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की किसी विशिष्टि का, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आयुक्त के आदेश के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख से, जो सामान्य पोर्टल पर

प्ररूप जीएसटीआरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत करने, की तारीख से पूर्वतर हो, संशोधन नहीं किया जाएगा । "

- (iii) 23 अक्तूबर, 2017 से नियम 89 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर का संदाय किए बगैर माल या सेवाओं या दोनों के शून्य दर प्रदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा, -

प्रतिदाय की रकम = (माल के शून्य दर प्रदाय का आवर्त + सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त) X शुद्ध आई टी सी÷ समायोजित कुल आवर्त

जहां,-

- (अ) "प्रतिदाय की रकम" से ऐसा अधिकतम प्रतिदाय अभिप्रेत है जो अनुजेय हो;
- (आ) "शुद्ध आई टी सी" से ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न जिसके लिए उपनियम (4 क) या उपनियम (4 ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, ऐसी सुसंगत अविध के दौरान इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है।
- (इ) "माल के शून्य दर प्रदाय के आवर्त" से ऐसे प्रदायों के आवर्त से भिन्न, जिसके संबंध में उपनियम (4 क) या उपनियम (4 ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अविध के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है;
- (ई) "सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के आवर्त" से बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर संदाय बिना निम्नलिखित रीति में संगणित किए गए सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है, अर्थात्:-

सेवाओं का शून्य दर प्रदाय, सेवाओं के शून्य पर प्रदाय के लिए सुसंगत अविध के दौरान प्राप्त संदायों का योग है और संदायों का शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूर्ण हो गया है जिसके लिए सुसंगत अविध से पहले की किसी अविध में अग्रिम के तौर पर संदाय प्राप्त हुआ था जिसे सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा घटाया गया है जिसके लिए सुसंगत अविध के दौरान सेवाओं का प्रदाय पूर्ण नहीं हुआ है ;

- (3) "समायोजित कुल आवर्त" से सुसंगत अवधि के दौरान,-
 - (क) शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य और
- (ख) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा, यदि कोई हो, किया गया है,

को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र का आवर्त अभिप्रेत है ;

- (ऊ) सुसंगत अविध से ऐसी अविध अभिप्रेत है जिसके लिए दावा फाइल किया गया है ।
- (4क) ऐसे प्राप्त प्रदायों की दशा में जिन पर प्रदायकर्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्याक फा 3 (42)/वित्त(राजस्व-1)/ 2017-2018/डीएस- vi/746 (48/2017- राज्य कर) दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है, माल या सेवाओं को शून्य दर प्रदाय बनाने में उपयोग किए गए अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुदत्त किया जाएगा ।
- (4ख) ऐसे प्राप्त प्रदायों की दशा में जिन पर प्रदायकर्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्याक फा 3 (57)/वित्त(राजस्व-1)/ 2017-2018/डीएस- vi/763 (40/2017- राज्य कर) दिनांक 27 नवम्बर, 2017 या अधिसूचना सं. 41/2017 एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या दोनों के फायदे का उपभोग किया है, माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त इनपुटों के संबंध में उपभोग किए गए कर प्रत्यय का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने में प्रयोग की गई सीमा तक अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अनुदत्त किया जाएगा ।";

(IV) नियम 95 में-

- (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार उसके आंतरिक प्रदायों पर उसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति, प्ररुपजीएसटीआरएफडी-10 में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर या अन्य अन्यथा, इलैक्ट्रानिकरुप से प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररुप जी एस टी आर 11 में माल या सेवाओं या दोनों के आंतरिक प्रदायों के विवरण के साथ आवेदन करेगा";
- (ख) उपनियम (3) के खंड (क) में "और पांच हजार रुपए से अधिक संदत्त कर को छोड़ कर यदि कोई है एकल कर बीजक के अधीन आने वाले प्रदाय का मूल्य" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (V) 23 अक्तूबर, 2017 से, नियम 96 में,-
- (क) शीर्षक में "निर्यात किए गए माल" शब्दों के पश्चात् " या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ख) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- (9) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ऐसे प्रदायों को प्राप्त नहीं करेगा जिन पर प्रदायकर्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्याक फा 3 (42)/वित्त(राजस्व-1)/ 2017-2018/डीएस- vi/746 (48/2017- राज्य कर) दिनांक 23 नवम्बर, 2017 या फा 3 (57)/वित्त(राजस्व-1)/ 2017-2018/डीएस- vi/763 (40/2017- राज्य कर) दिनांक 27 नवम्बर, 2017 या अधिसूचना संख्यांक 41/2017-एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपयोग किया है।"
- (vi) प्ररूप जी एस टी आर ई जी-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप जीएसटी आरईजी-10

[नियम 14(1)देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करवाने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

ii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है
iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता
(v)	भारत में नियुक्त प्रतिनिधि का नाम, यदि कोई है
	(क) भारत में प्रतिनिधि का स्थाई खाता संख्या
	(ख) भारत में प्रतिनिधि का ई-मेल पता
	(ग) भारत में प्रतिनिधि का मोबाइल नं. (+91)

भाग-ख

प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	
फोटो			
लिं <i>ग</i>		पुरूष/सत्री/अन्य	
पदनाम			
जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष	

राष्ट्रीयता						
आधार, यदि कोई हो						
		पता पंक्ति ।				
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पत	π	पता पंक्ति 2				
		पता पंक्ति 3				
भारत में ऑनलाइन सेवा	के प्रारम्भ की तारीख	तारीख/मास/वर्ष				
	से कराधेय सेवाएं उपलब्ध	कराई जाती हैं, के ए	क समान स्रोत अ	वस्थापक (यूआरएत	न):	
1. 2. 3.						
2.	केन्द्र		बैंगलुरु पशिचम	ा, सी.जी.एस.टी, कर्गि	नेश्नरेट	
2. 3. अधिकारिता	केन्द्र क खाते के ब्यौरे(यदि नियुवि	मेत हुई है)	बैंगलुरु पशिचम	न, सी.जी.एस.टी, कर्नि	नेश् <i>नरेट</i>	
2. 3. अधिकारिता	Supplies and the supplies are supplies and the supplies and the supplies are supplies and the supplies and the supplies are supplies are supplies and the supplies are supplies are supplies are supplies and the supplies are supplies are supplies are supplies are supplies and the supplies are sup	हेत हुई है) खाता का प्रकार	बैंगलुरु पशिचम	ा, सी.जी.एस.टी, कर्नि	नेश्नरेट	
 अधिकारिता भारत में प्रतिनिधि के बैंव 	Supplies and the supplies are supplies and the supplies and the supplies are supplies and the supplies and the supplies are supplies are supplies and the supplies are supplies are supplies are supplies and the supplies are supplies are supplies are supplies are supplies and the supplies are sup		बैंगलुरु पशिचम	ा, सी.जी.एस.टी, कर्गि आइएफएससी	नेश्नरेट	
2. 3. अधिकारिता भारत में प्रतिनिधि के बैंव खाता सं. बैंक का नाम अपलोड किए गए दस्तावे	ह खाते के ब्यौरे(यदि नियुवि शाखा का पता	खाता का प्रकार		आइएफएससी		

मैं.......यह घोषणा करता हूं कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र मैं अवस्थित गैर-निर्धारिती ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी से कर प्रभारित करुंगा और संग्रहीत करुंगा और उसे भारत सरकार में जमा करुंगा।

हस्ताक्षर

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख:

पदनाम :

टिप्पणः आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

1.	भारत में प्रतिनिधि के कारबार के स्थान का सब्तः
	(क) स्वयं के परिसरों के लिए –
	नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे परिसरों के स्वामित्व
	के समर्थन में कोई दस्तावेज।
	(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गएपरिसरों के लिए-
	पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति जैसे
	नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति
	(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए-
	सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई
	संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए जैसे नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल
	की प्रति ।
2.	निम्नलिखित के सबूत:
	बीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ड की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर
	आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।
	निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है।
	उद्भव के देश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति
	भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
3	बैंक खाता सम्बद्ध सब्तः
	बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति।
	स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खात
	संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।
	भारत में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कापी, यदि लागू हों ।

5

प्राधिकार प्ररूप:-

प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रतिः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से)

मैं(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं किकारबार <<कारबार का नाम>>जिसके लिए आरईजी का आवेदन केन्द्रीयमाल और सेवा कर अधिनियम, 2017के अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए <<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>>प्राधिकृत हूं।

इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी।

उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं।

क्र. सं.

पुरा नाम पदाभिधान/प्रास्थिति

हस्ताक्षर

1.

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति

मैं<<(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>>ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

(नाम)प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षरस्थान

तारीख:

पदनाम /प्रास्थिति

अन्देश -

- यदि प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारत में नहीं रहता है, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा । प्रमाणीकरण इलैक्ट्रोनिक वेरीफिकेशन कोड (ई वी सी) के माध्यम से किया जाएगा ।
- 2. भारत में नियुक्ति प्रतिनिधि से अभिप्रेत एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट है ।
- (vii) प्ररूप जी.एस.टी. आर ई जी 13,
 - (क) भाग-ख के क्रम सं.-4 में ''राज्य में अस्तित्व का पता'' शब्दों के स्थान पर ''अस्तित्व का पता जिसके संबंध में केन्द्रीयकृत यू.आई.एन. गया है'' शब्दों को रखा जाएगा ;

(ख) अनुदेशों में, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलैक्ट्रानिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रानिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा या अन्यथा ।";

(viii) प्ररूप जीएसटी आर-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररुपजीएसटीआर -।। [नियम 82देखें]

विशिष्टि पहचान संख्यांक (यूआईएन) वाले व्यक्तियों द्वारा आवक प्रदाय का विवरण

1	यू एन आई					
2.	यू एन आई वाले व्यक्ति का नाम					

3. प्राप्त आवक प्रदाय के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में)

बीजक /नामे	दर	कराधेय	कर की रकम	प्रदाय का स्थान
नोट/जमापत्र के ब्यौरे		मूल्य		
संख्यातारीखम्ल्य				
	नोट/जमापत्र के ब्यौरे	नोट/जमापत्र के	नोट/जमापत्र के मूल्य ब्यौरे	नोट/जमापत्र के मूल्य ब्यौरे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्राप्त बीर	जक									
								ŀ		
. प्राप्त न	में नोट/	जमाप:	त्र							

सत्यापन

में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भीनहीं छिपाया गया है।

	हस्ताक्षर
स्थान:	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख:	पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश- :

1. प्रयुक्त शब्द :-

(क) जीएसटी आईएन: - माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

- (ख) यूआईएन :- विशिष्ट पहचान संख्यांक
- 2. प्रतिदाय आवेदन उसी राज्य में फाइल करना होगा, जहां विसिष्ट पहचान संख्यांक दिया गया है।
- 3. प्रतिदाय प्रयोजन के लिए केवल वहीं बीजक प्रविष्ट किए जा सकेंगे जिन पर प्रतिदाय मांगा गया है।

(ix)प्ररूप जी.एस.टी. आरएफडी-10, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10

[नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1.	यूनिक पहचान	संख्या :				
2.	नाम :					
3.	पता :					
4.	कर अवधि (तिम	गही): दिन	/मास /वर्ष से तक	ंदिन /	मास /वर्ष>	
5.	ए आर एन और उ	भी एस टी आर 11	की तारीख : ए 3	भार एन <	><दिन /मास/ वर्ष>	
6.	दावा प्रतिदाय र्व में>	ने रकम		< आ :	ई एन आर><शब	दों
	राज्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	

राज्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कुल				

- 7. बैंक खाते का ब्यौरा:
 - (क) बैंक खाता संख्या
 - (ख) बैंक खाते का प्रकार
 - (ग) बैंक का नाम
 - (घ) खाता धारक/ संचालक का नाम
 - (ङ) बैंक शाखा का पता

- (च) आई एफ एस सी
- (छ) एम आई सीआर

8. सत्यापन

मैं,<<दूतावास/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम>> काप्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रूप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/ प्रास्थिति

अनुदेश -

1

- 1. प्रतिदाय के लिए आवेदन तिमाही आधार पर किया जाएगा ।
- 2. सारणी सं. 6, जी एस टी आर-11 की सारणी 3 में दिए गए ब्यौरे से स्वतः भरा जाएगा
- 3. प्रतिदाय रकम को पात्रता के अनुसार बदलने की सुविधा होगी ।

एमईए द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र जिनमें प्रतिदाय की सुविधा अनुदत्त की गई है,
 को उपयुक्त अधिकारी के समक्ष प्रतिदाय दावा प्रसंस्करण करने हेतु उपलब्ध करवाया
 जाएगा ।

(x)प्ररूप जी एस टी डी आर सी -07में, सारणी के क्रम सं. 5 का लोप किया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

रिते के सिंह)

उप-सचिव- VI (वित्त)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 को सं0फा0 03(10) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/342, दिनांक 22 जून, 2017, को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 70/2017 - राज्य कर दिनांक 17 जनवरी, 2018 को हुआ था।

सं फा 3(78)/वित्त(राजस्व-1)/2017-2018/डीएस- VI/ 5.5

दिनांकः 31/01/18°

प्रतिलिपि प्रेषित सूचनार्थः-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तारीख में एक पृथक प्रति के साथ ताकि दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में इसे प्रकाशित किया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ।

- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

7. निजी सचिव, नेता विपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।

- 8. अतिरिक्त सचिव, (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- 9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।

10. वेबसाइट।

11. गार्ड फाइल।

(ए0 के0 सिंह) उप-सचिव- VI (वित्त)